"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 201] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 अगस्त 2002—श्रावण 21, शक 1924

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2002

अधिसूचना

फा. क्र. 5411/21-ब/छ.ग./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

"नियम 7 के उप-नियम (घ) का लोप किया जाए."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2002

फा. क्र. 5411/21-ब/छ.ग./2002.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 1994 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराधा खरे, उप-सचिव.

Raipur, the 12th August 2002

NOTIFICATION

F. No. 5411/21-B/C.G./2002.—In exercise of powers conferred by Article 234 read with the proviso of Article 309 Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh in consultation with the High Court and the State Public Service Commission hereby make the following amendment in the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994 :—

AMENDMENT

In the said rules,—

"the sub-rule (d) of rule 7 shall be omitted".

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANURADHA KHARE, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.